भी, उनको भी एक ऐसा एटमासफीयर क्रिएट करना होगा जिस में इन सब बातों को उचित महत्व मिले। न सब संस्थाओं को भी देखना होगा कि इस तरह की घटनाएं न घटें।

यह एक ऐसा सवाल है जिस को राजनीति से, दलगत भावना से ऊपर उठ कर हमको लेना चाहिये था और विचार करना चाहिये था। लेकिन मुझे दुख है कि जिन बहन ने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया है, ऐसा लगता है कि वह भी दलगत राजनीति में पड़ गई हैं और इस में कुछ राजनीति की बू भी आती है। विपक्ष के जो सदस्य या सदस्यायें बोली हैं उन्होने ऐसा आभास दिया है जैसे जब से श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री हुई हैं तभी से ये मार अत्याचार सो रहे हैं। उन्होंने एलार्मिग शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ तो यह निकलता है कि जो रेप एलार्मिग नही हैं, जो नार्मल रेप नही हैं, वह रेप ही नही होगा।

All rapes are alarming, irrespective of the status of the woman raped. Under the garb of the word "alarming" बहुत सी ऐसी रोजाना घटनाए हो जाती हैं जिन का नोग नोटिस हीं नही लेते है। इस वास्ते यह जो एलार्मिग शब्द है इसको आपको हटा देना पड़ेगा क्योंकि आर रेप्स आर एलार्मिग। जो महिला 13-14 साल की है और धनी परिवार की है उसके साथ अगर दुर्व्यवहार होगा तो उसको क्या आप रेप नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि इस में वर्गीकरण किया जाए।

इन्होंने यह भी लिखा है कि हायर्ड एण्टी सोशल एलीमेंट्स

MR CHAIRMAN: We will now have to take up Private Members' Bills. So, you can continue your speech when this Resolution is taken up the next time.

श्रीमती कृष्णा साही: अगर अब समय नहीं है तो मैं दूसरे सेशन में बोल लूंगी क्योंकि मुझे तो अभी बहुत कहना है, थोड़ा समय दिया जाय।

MR. CHAIRMAN: Private Members' business starts.

श्रीमती कृष्णा साही: तो दूसरे सेशन के लिये इसको रख दें। मुझे तब बोलने का मौका दिया जायेगा?

MR. CHAIRMAN: Yes.

15.31 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

MR. DEPUTY SPEAKER: We shall now take up Private Members' business.

INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (Amendment) BILL*

(Amendment of Section 17 and Second Schedule)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970."

The Motion was adopted.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of articles 75 and 164)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The Motion was adopted.

PROF. MADHU DANDAVATE: I introduce the Bill.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 28-3-1980.